



कुलाधिपति
Chancellor

राजस्थान तकनीकी
.....विश्वविद्यालय,
.....University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.34(2)आरबी / 2025 / 5797
दिनांक : 18 अक्टूबर, 2025

आदेश

मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2006 (यथा संशोधित) की धारा 11(3) व 11(7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोजबीन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार के परामर्श से प्रो. निमित्त रंजन चौधरी, विभागाध्यक्ष, पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा का कुलगुरु नियुक्त करता हूँ।

यह नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतर्कता अनापत्ति प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

हस्ता० /—

(हरिभाऊ बागडे)

राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.34(2)आरबी / 2025 / 5798

दिनांक : 18 अक्टूबर, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रो. निमित्त रंजन चौधरी, विभागाध्यक्ष, पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
5. प्रो. (डॉ.) भगवती प्रसाद सारस्वत, कार्यवाहक कुलगुरु, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
6. कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
7. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल, राजभवन को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(डॉ. पृथ्वी)

सचिव,

राज्यपाल, राजस्थान